दयाल सिंह कॉलेज

DYAL SINGH COLLEGE

(दिल्ली विश्वविद्यालय) / UNIVERSITY OF DELHI

दिनांक/dated: 12 मई/May 2023

सूचना / NOTICE

यह नोटिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम - 2015 और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV-B के अनुसरण में है।

कॉलेज में छात्रों, शैक्षणिक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त शैक्षणिक और कार्य वातावरण को बनाए रखने के लिए कॉलेज के नियमित और पूर्व छात्रों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे मौखिक / गैर-मौखिक / शारीरिक आचरण जैसे भरी हुई टिप्पणियों, टिप्पणियों, फोन कॉल, ईमेल, इशारों, शारीरिक संपर्क, इत्यादि में लिप्त न हों।

अध्यादेश XV-B का कोई भी उल्लंघन होने पर कॉलेज से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

This notice is in pursuance of UGC (Prevention, Prohibition and Redressal of sexual harassment of women employees and students in Higher Education Institutions) Regulations – 2015 and Ord. XV-B of University of Delhi.

To maintain and create an academic and work environment free of sexual harassment for students, academic and non-teaching staff of the College, the students including regular as well as current ex-students of the College are hereby advised not to indulge in verbal/non-verbal/physical conduct such as loaded comments, remarks, phone calls, emails, gestures, physical contact, etc.

Any violation of Ord. XV-B, disciplinary action will be taken including expulsion from the College.

प्रो. विनोद कुमार पालीवाल (प्राचार्य) Prof. V. K. Paliwal (PRINCIPAL)

प्रति / Copy to:

- 1. छात्र सूचना पटल / Student Notice Board
- 2. कॉलेज वेबसाईट/College Website